(वाद सं0–375/17)

25.11.2021

श्री निखिल आनंद, सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा निदेशालय, पटना उपस्थित है।

प्रसंगाधीन मामला, मधुबनी जिलान्तर्गत मधेपुरा प्रखण्ड के वृद्धावस्था पेंशन की एक लाभार्थी, मुसहरनी देवी, को जून 2015 से नम्बर 2016 तक (कुल–17माह) के 500/–रुपये प्रतिमाह की दर से बकाया वृद्धावस्था पेंशन का भुगतान न किये जाने से संबंधित है।

उक्त पर निदेशक, सामाजिक सुरक्षा निदेशालय (समाज कल्याण विभाग), बिहार सरकार से प्रतिवेदन की मांग की गयी। उनके द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि लाभार्थी, मुसहरनी देवी, के बकाया पेंशन राशि का भुगतान डी0बी0टी0 के माध्यम से कर दिया गया है तथा अब उनका किसी भी प्रकार का पेंशन की राशि का बकाया नहीं है। उनकी ओर से इस संबंध में मुसहरनी देवी द्वारा सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा कोषांग, मधुबनी को संबोधित आवेदन की छाया प्रति दाखिल की गयी है जिसमें उन्होनें इस बात को स्वीकार किया है कि उसे बकाया पेंशन राशि का भुगतान किया जा चुका है तथा उसकी ओर से प्रस्तुत परिवाद को संचिकास्त करने का अनुरोध भी किया गया है।

अब, जबकि परिवादी के समस्या का समुचित प्राधिकार द्वारा संतोषजनक समाधान कर दिया गया है तो ऐसी परिस्थिति में प्रसंगाधीन मामले के संबंध में राज्य आयोग के स्तर से अब कोई अग्रेत्तर कार्रवाई किये जाने का औचित्य प्रतीत नहीं होता है।

वर्णित स्थिति में प्रसंगाधीन मामले को राज्य आयोग के स्तर से संचिकास्त किया जाता है।

तद्नुसार परिवादी को सूचित कर दिया जाय।

(उज्ज्वल कुमार दुबे)
सदस्य

निबंधक